37

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण कमांक : 126-पीबीआर/1996 निगरानी - विरूद्ध आदेश दिनांक 14-10-1998- पारित द्वारा अपर आयुक्त, बंदोवस्त, म0प्र0 ग्वालियर - प्रकरण कमांक 44/1991-92 अपील

1- जमुना पुत्र केमला पटेल
2- श्रीमती अमरनुआ पत्नि मोहन पटैल
3- रामलल्लू 4- रामश्रय पुत्रगण मोहन पटैल
सभी ग्राम लिलवार तहसील सिंहावल
जिला सीधी मध्य प्रदेश ----आवेदकगण

विरूद्ध

1- रामसरवा पुत्र सहदेव
2- वासुदेव 3- सहदेव पुत्रगण अहिवरण
4- बैजनाथ पुत्र सालिक
5- केदार पुत्र जयकरण
6- रामचन्द्र 7- तेजई पुत्रगण सुग्रीव
8- ददई पुत्र रघुवीर
9- छोटे 10- कल्लू पुत्रगण गणपत
सभी ग्राम लिलवार तहसील सिहावल
जिला सीधी मध्य प्रदेश ----अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री एस.के.बाजपेयी)
(अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित-एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 9- 7- 2018 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, बंदोवस्त, म0प्र0 ग्वालियर के प्रकरण कमांक 44/1991-92 अपील में पारित आदेश दिनांक 14-10-1998 के विरूद्ध म0प्र0 भू रा0 संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत हुई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि सहायक बंदोवस्त अधिकारी सीधी दल क-3 के समक्ष उभय पक्ष की सामिलाती भूमि के बटवारे का दावा प्रस्तुत हुआ, जिस पर सहायक बंदोवस्त अधिकारी सीधी दल क-3 ने प्रकरण कमांक 31अ-27/ 89-90 पॅजीबद्व किया तथा पक्षकारों की सुनवाई कर आदेश दिनांक 27-3-91 पारित करके सामिलाती भूमि का पक्षकारों के बीच बटवारा कर दिया। सहायक बंदोवस्त अधिकारी सीधी दल क-3 के आदेश दिनांक 27-3-91 के विरूद्व बंदोवस्त अधिकारी सीधी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। बंदोवस्त अधिकारी सीधी ने प्रकरण कमांक 132/90-91 अपील में पारित आदेश दिनांक 14-2-92 से अपील स्वीकार कर सहायक बंदोवस्त अधिकारी सीधी दल क-3 का आदेश दिनांक 27-3-91 निरस्त कर दिया तथा उभय पक्ष की सामिलाती भूमि का आनुपातिक बटवारा कर दिया। इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, बंदोवस्त, म0प्र0 ग्वालियर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त बंदोवस्त ग्वालियर ने प्रकरण कमांक 44/1991-92 अपील में पारित आदेश दिनांक 14-10-1998 से अपील स्वीकार कर बंदोवस्त अधिकारी सीधी का आदेश दिनांक 14-2-92 निरस्त करते हुये सहायक बंदोवस्त अधिकारी सीधी दल क-3 का आदेश दिनांक 27-3-91 यथावत् रखा। इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी प्रस्तुत की गई हैं।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदकगण के अभिभाषक के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

4/ आवेदकगण के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह निर्विवाद है कि सहायक बंदोवस्त अधिकारी ने आदेश दिनांक 27-3-91 से फर्द बटवारा इस आधार पर स्वीकार किया है क्योंकि पक्षकारों के बीच संबत 2001 अर्थात सन 1944 में

(सहमति के आधार पर पारिवारिक व्यवस्था) घरेलू बटवारा हो चुका है और यह बटवारा सहायक बंदोवस्त अधिकारी के समक्ष साक्षीगण के कथनों से प्रमाणित हुआ है।

1. **बापूलाल विरूद्ध मुन्नालाल 1988 रा0नि0 94 पर माननीय उच्च न्यायालय का न्याय दृष्टांत है कि पूर्व में मौखिक विभाजन और तदनुसार कब्जे के संबंध में स्वीकृति के पश्चात् पुनः विभाजन नहीं करवाया जा सकता।**
2. **भुवन विरूद्ध नागू 1996 रा0नि0 33 पर माननीय उच्च न्यायालय का न्याय दृष्टांत है कि कौटुम्बिक व्यवस्था के रूप में विभाजन द्वारा 30-35 वर्ष की अविछिन्न व्यवस्था , एक पक्षकार की मांग पर विक्षुब्ध नहीं की जा सकती।**

उपरोक्त के प्रकाश में अपर आयुक्त, बंदोवस्त, म0प्र0 ग्वालियर द्वारा आदेश दिनांक 14-10-1998 में विस्तृत विवेचना कर निकाले गये निष्कर्ष उचित प्रतीत होने से विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप की गुॅजायश नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, बंदोवस्त, म0प्र0 ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 44/1991-92 अपील में पारित आदेश दिनांक 14-10-1998 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर